

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021 अग्रहायण 30, 1943 शक सम्वत्

#### विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग)

संख्या 1171 / वि०स० / संसदीय / 105(सं)-2021 लखनऊ, 16 दिसम्बर, 2021

> अधिसूचना प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021 उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 का अग्रतर संशोधन करने के

#### विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 संक्षिप्त नाम और कहा जायेगा।
  - (2) यह दिनांक 18 नवम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

लिये

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1974 की धारा 13 का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 की धारा 13 में उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेंगी, अर्थात :—

"(1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके नामनिर्देशिती या जहाँ कोई नामनिर्देशिती न हो उसके विधिक उत्तराधिकारियों को निधि से उसकी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए पाँच हजार रूपये की दर से संगणित धनराशि का, जो पच्चीस हजार रूपये से अन्यून और एक लाख पचास हजार रूपये से अनिधक हो, भुगतान किया जायेगाः

परन्तु यह कि तीस वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर किसी सदस्य की मृत्यु होने की दशा में उनके नामनिर्देशिती अथवा विधिक उत्तराधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से एक मुश्त पाँच लाख रूपये का भुगतान किया जायेगा।

- (2) किसी सदस्य को, धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के अधीन सदस्य न रह जाने पर निधि से निम्नलिखित प्रकार से भुगतान किया जायेगा:—
  - (एक) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए दो हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित वर्ष के बारह वर्ष के पश्चात् और पच्चीस वर्ष के पूर्व त्याग—पत्र देता है;
  - (दो) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए अधिकतम एक लाख पचास हजार रूपये के अध्यधीन पाँच हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित पच्चीस वर्ष के पश्चात् त्याग-पत्र देता है:

परन्तु यह कि यदि वह अपनी सदस्यता के तीस वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् त्याग-पत्र देता है तो ऐसे सदस्य को राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से एक मुश्त पाँच लाख रूपये का भुगतान किया जायेगा।

(तीन) उसके द्वारा संदत्त अभिदान के कुल योग के बराबर धनराशि, और उस पर ऐसी दर से साधारण ब्याज, जैसा कि न्यासी समिति समय—समय पर नियत करे, यदि वह ऐसे किन्हीं अन्य कारणों से, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) से आच्छादित न हों, सदस्य न रह जाय।"

निरसन और व्यावृत्ति 3—(1) उत्तर प्रदेष अधिवक्ता कल्याण निधि (संषोधन) अध्यादेष, 2021, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेष अध्यादेष संख्या 10 सन् 2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेष द्वारा यथा संषोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संषोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

## उद्देष्य और कारण

उत्तर प्रदेष में अधिवक्ता कल्याण सम्वर्द्धन निधि की स्थापना और संचालन करने का उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1974) अधिनियमित किया गया है। पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि गठित की गयी थी, जिसके माध्यम से किसी अधिवक्ता को भुगतान की जाने वाली अधिकतम धनराशि 1.5 लाख रु० नियत की गयी थी। संकल्प पत्र 2017 की उद्घोषणा को दृष्टिगत रखते हुए और अधिवक्ताओं के हित में उक्त धनराशि में वृद्धि करके 5.00 लाख रुपये किये जाने का विनिश्चय किया गया था।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2021 को उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2021) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेष को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

ब्रजेश पाठक, मंत्री, न्याय।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2021 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धारा का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974

धारा

- "13-(1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके नामांकिती या जहां कोई सदस्यता समाप्त नामांकिती न हो उसके विधिक वारिसों को निधि से उसकी सदस्यता के भुगतान प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए पांच हजार रुपये की दर से संगणित धनराशि का, जो पच्चीस हजार रुपये से अन्यून और एक लाख पचास हजार रुपये से अनिधक हो, भुगतान किया जायेगा।
- (2) किसी सदस्य को, धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के अधीन सदस्य न रह जाने पर निधि से निम्नलिखित प्रकार से भुगतान किया जायेगा :—
  - (एक) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए दो हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित वर्ष के बारह वर्ष के पश्चात् और पच्चीस वर्ष के पूर्व त्याग—पत्र देता है,
  - (दो) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए, अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, पांच हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित पच्चीस वर्ष के पश्चात् त्याग—पत्र देता है,
  - (तीन) उसके द्वारा संदत्त वार्षिक चन्दे के कुल योग के बराबर धनराशि, और उस पर ऐसी दर से साधारण ब्याज, जो न्यासी समिति समय—समय पर नियत करे, यदि वह ऐसे अन्य कारण से जो उपधारा (1) या उपधारा (2) से आच्छादित न हो, सदस्य न रह जाये।

आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

#### UTTAR PRADESH SARKAR SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 851/XC-S-1–21-50S-2021 Dated Lucknow, December 20, 2021

#### **NOTIFICATION**

#### **MISCELLANEOUS**

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Vidheyak, 2021" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 16, 2021.

## THE UTTAR PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL, 2021

#### A BILL

further to amend the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2021.
- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 18<sup>th</sup> day of November, 2021.

Amendment of section 13 of U.P. Act no. 6 of 1974

- 2. In the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974, in section 13, *for* sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be *substituted*, namely:-
  - "(1) In the event of a death of member, his nominee or where there is no nominee, his legal heirs shall be paid from the Fund an amount calculated at the rate of rupees five thousand per annum for every completed year of his membership which shall not be less than rupees twenty-five thousand and more than rupees one lakh fifty thousand:

Provided that in case of death of a member on completion of thirty years of membership, his nominee or legal heirs shall be paid rupees five lakhs in one *lump sum* in the manner prescribed by the State Government.

- (2) A member shall, on ceasing to be a member under clauses (b), (c) or (d) of sub-section (1) of section 12, be paid from the Fund,-
  - (i) if he resigns after twelve years and before twenty-five completed years of his membership, an amount calculated at the rate of two thousand rupees per annum for every completed year of membership;
  - (ii) if he resigns after twenty-five completed years of his membership, an amount calculated at the rate of five thousand rupees per annum for every completed year of membership subject to a maximum of rupees one lakh fifty thousand:

Provided that if he resigns after thirty completed years of his membership, such member shall be paid rupees five lakhs in one *lump sum* in the manner prescribed by the State Government.

(iii) if he ceases to be such member due to any other causes not covered by sub-section (1) or sub-section (2), an amount equal to the aggregate of his subscription paid by him and simple interest thereon at such rate as the trustees Committee may, from time to time, fix."

Repeal and Saving

3. (1) The Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 10 of 2021

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1974 (U.P. Act no. 6 of 1974), has been enacted to provide for the establishment and operation of a fund for the promotion of welfare of Advocates in Uttar Pradesh. Under the aforesaid Act, the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund was constituted for the welfare of the advocates, through which the maximum amount to be paid to an advocate was fixed at Rs. 1.50 lakh. In view of the announcement of Sankalp Patra 2017 and in the interest of the advocates it was decided to increase the said amount to Rs. 5.00 lakh.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 10 of 2021) was promulgated by the Governor on November 18, 2021.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

BRAJESH PATHAK Mantri, Nyaya.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.